



संयंत्रों का संचालन / संधारण (O&M)

क्रेडा द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार यथा सोलर पॉवर प्लांट, सोलर ड्यूल पंप, सोलर सिंचाई पंप, सोलर हाईमास्ट इत्यादि के लगभग 2.16 लाख संयंत्रों की स्थापना की गई है। इन स्थापित संयंत्रों की शत-प्रतिशत कार्यशीलता सुनिश्चित करने, संयंत्रों के जीवनकाल में वृद्धि एवं पूर्ण क्षमता के उपयोग हेतु वर्ष 2005 में संचालन एवं संधारण सेल का गठन किया गया है। समस्त संयंत्रों का प्रतिमाह संचालन, संधारण तथा मॉनिटरिंग का कार्य 508 सेवाकर्ता ईकाईयों (तकनीशियन एवं हेल्पर) के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन रोजगार का सृजन हो रहा है। संचालन, संधारण के वृहद मैनपॉवर तथा दक्ष कार्यप्रणाली के कारण संयंत्रों की कार्यशीलता प्रतिवर्ष 97-98% प्राप्त की जा रही है। वर्ष 2017 से संचालन संधारण के कार्य में इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी का उपयोग करते हुए मॉनिटरिंग का कार्य वेब बेस्ड ऑनलाईन पोर्टल (www.credaom.com) के माध्यम से किया जा रहा है तथा शिकायतों का रियल टाइम पंजीकरण एवं निराकरण केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर (टोल फ्री नं. 18001234591) के माध्यम से किया जा रहा है।



श्री भूपेश बघेल

माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन



छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)


ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन



Toll Free No. 18001234591

Log on: www.creda.co.in

व्ही.आई.पी.रोड, ऊर्जा शिक्षा उद्यान के पास, फुण्डहर चौक, रायपुर (छ.ग.)



संचालन एवं संधारण - समय सीमा

प्रति संयंत्र हेतु

प्रतिदिन संयंत्र का संचालन ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है एवं क्लस्टर इकाई के द्वारा मासिक समीक्षा की जाती है।

हितग्राही के द्वारा फोन / पत्र के माध्यम से या क्लस्टर इकाई / ऑपरेटर के द्वारा निरीक्षण के दौरान आदि।

सूचना प्रणाली

शिकायत की जाँच

शिकायत की जाँच संबंधित अधिकारी / कार्यालय के द्वारा 24 घंटे के अंदर।

सेवाकर्ता इकाई अथवा जिला प्रभारी के द्वारा 03 दिवस के अंदर।

कार्यवाही

शिकायत की जाँच

सुधार कार्य उपरांत संबंधित हितग्राहियों को सूचना।



